भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

INDIA

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AA 157017

NOTARY
RAVINDRA KUMAR
Advocate/Notary
(GOVT. OF INDIA)
Deoband
(SRE)
NOTARIAL NOTARIAL
GOVT. OF INDIA

Identified by

(विजेन्द्र गुप्ता
चेम्बर न0 11 B
सिविल कोर्ट, देवबन्द
मो0 8923470125

संशोधित स्मृति पत्र

1—संस्था का नाम :— शकुन्तला देवी एजुकेशनल ट्रस्ट

2—संस्था का पता:— कमला विहार मंगलौर चौकी देवबन्द (सहारनपुर)

3—कार्यक्षेत्र :— सम्पूर्ण भारतवर्ष

4—उददेश्य:—

1— किसी भी महापुरूष की जन्म शताब्दी या जन्म दिन या पुण्यतिथि मनाना तथा स्मारिका प्रकाशित करना तथा स्मारिका में विज्ञापन देना, अखबार में विज्ञापन देना।

2— समाज सुधार, समाज उत्थान एंव धार्मिक उन्नयन में सक्रिय अभिरूचि लेना तथा सामग्री एंव पत्र प्रकाशित करना तथा किसी पत्रकार, साहित्यकार का अभिनन्दन करना।

3— साहित्यिक, वैज्ञानिक, प्राविधक, तकनीकी, प्राथमिक आदि किसी भी प्रकार की शिक्षण संस्थाऐं खोलना, खुलवाना, संचालन करना।

4— अनाथ, आवश्यकताग्रस्त, वृद्ध, असमर्थ और दुर्भाग्यग्रस्त लोगो (महिलाएं एंव बच्चे भी) की सहायता करना।

5— पूजा स्थान, धर्म—स्थल, धमार्थ औषधालय, पुस्तकालय, शिक्षण संस्थाऐं आदि का निर्माण करना, नेत्र शिविर लगाना तथा सहायता करना।

6— अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण एंव उत्थान के लिये कार्य करना।

7— संस्था के उददेश्यो की पूर्ति हेतु बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओ से ऋण लेना।

8— संस्था का कोष आय आदि संस्था के उददेश्यो की पूर्ति हेतु व्यय करना।

9— निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।

RAVINDRA KUMAR
Advocate/Notary
GOVT. OF INDIA

Identified by

(बिजेन्द्र गुप्ता
चेम्बर न0 11 B
सिविल कोर्ट, देवबन्द
मो0 8923470125

संशोधित नियमावली

1–संस्था का नाम :– शकुन्तला देवी एजुकेशनल ट्रस्ट

2–संस्था का पताः– कमला विहार मंगलौर चौकी देवबन्द (सहारनपुर)

3–कार्यक्षेत्र :– सम्पूर्ण भारतवर्ष

4– संस्था की सदस्यता तथा सदस्यो के वर्गः– भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, नैतिक आचरण वाला हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, संस्था का सदस्य हो सकेगा।

1–संरक्षक या सम्मानित सदस्यः–

जो व्यक्ति इस संस्था के लिये विशिष्ट सेवा करना चाहता हो, उसे संस्था विशिष्ट सम्मान देगी और उसे इस संस्था का सम्मानित सदस्य बनाया जा सकता है। ऐसे सदस्यो की संख्या पांच से अधिक नही होगी। इस संस्था का संरक्षक डा0 प्रदीप वर्मा पुत्र श्री कर्मसिंह निवासी कमला विहार निकट मंगलौर चौकी कस्बा देवबन्द जिला सहारनपुर नियुक्त कर दिया गया है जो अपने जीवन काल तक इस पद पर रहेगे और उनके उपरान्ही इन्ही के परिवार का उत्तराधिकारी इस ट्रस्ट का संरक्षक होगा।

2–साधारण सदस्यः–

कोई भी व्यक्ति क्रमांक 4 के अनुसार सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह संस्था मे 100/–रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा करने पर मंत्री की साधारण सदस्य बनाने का अधिकार होगा।

3–पदाधिकारीः– 1–अध्यक्ष 2–मन्त्री

5– सदस्यता से पृथिकरणः–

1–सदस्य द्वारा त्याग पत्र दिये जाने पर।

2–नैतिक अपराध में दण्डित होने पर।

3–आचरण भृष्ट होने पर।

4–मृत्यु होने पर।

5–संस्था विरोधी आचरण करने पर।

6–सदस्यता शुल्क न देने पर।

7–कोई सदस्य यदि लगातार तीन बैठको में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

8–पागल होने पर।

NOTARY
RAVINDRA KUMAR
Advocate/Notary
(GOVT. OF INDIA)
GOVT. OF INDIA

Identified by

(बिजेन्द्र गुप्ता
चेम्बर न0 11 B
सिविल कोर्ट देवबन्द
मो0 8923470125

6–संस्था के अंगः–   (अ) साधारण सभा   (ब) प्रबन्धकारिणीी समिति

(अ) साधारण सभाः–

1–**गठनः**– संस्था का संरक्षक एंव साधारण सदस्यो का समूह साधारण सभा कहलायेगी।

2–**बैठकेः**– प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान आम सभा को वर्ष में कम से कम एक बैठक होना आवश्यक है।

3–**सूचना अवधिः**– बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व तथा विशेष परिस्थितियो में बुलाई गई बैठको के लिये 12 धण्टे पूर्व में दी गयी सूचना प्रर्याप्त होगी।

4–**गणपूर्तिः**– साधारण सभा की गणपूर्ति 2/3 होना आवश्यक होगी।

5–**विशेष वार्षिक अधिवेधनः**– साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन की तिथि साधारण सभा के बहुमत से तय की जायेगी।

6–**साधारण सभा के अधिकार एंव कर्तव्यः**–

1– प्रत्येक पांच वर्ष उपरान्त अपने सदस्यो में से साधारण सभा कार्यकारिणी समिति के सदस्यो का चुनाव करेगी।

2– वार्षिक आय एंव व्यय का हिसाब पास करना।

3–संस्था की निति निर्धारण करना।

4–भृष्ट सदस्यो को संस्था से निकालने का अधिकार मन्त्री का होगा।

(ब) प्रबन्धकारिणी समितिः–

1–**गठनः**– प्रत्येक पांच वर्ष बाद साधारण सभा अपने सदस्यो में से कार्यकारिणी समिति का चुनाव करेगी।

2–**बैठकेः**– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा आवश्यकता पडने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

3–**सूचना** :– प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को देनी होगी। जिसमें पिछली बैठक पर विचारणीय प्रश्न स्पस्ट होना चाहिये। विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व पत्र–वाहक द्वारा भी जा सकती है।

4–**गणपूर्तिः**– प्रबन्ध समिति की बैठक में 2/3 सदस्यो का होना अनिवार्य होगा।

NOTARY RAVINDRA KUMAR Advocate/Notary (GOVT. OF INDIA) GOVT. OF INDIA

Identified by

(बिजेन्द्र गुप्ता
चेम्बर न0 11 B
सिविल कोर्ट, देवबन्द
मो0 8923470125

5–रिक्त स्थान की पूर्तिः– सदस्यो के रिक्त स्थानो की पूर्ति अध्यक्ष व मन्त्री की सहमति पर की जायेगी।

6–कार्यकालः– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

7–प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एंव कर्तव्यः–

1– संस्था संचालन एंव साधारण सभा के प्रस्ताव का पालन करना और योजना बनाना।

2– बजट बनाना और उसको साधारण सभा से स्वीकृत कराना।

3– संस्था के क्षेत्र को घटाना और बढाना एंव आवश्यकतानुसार प्रधान कार्यालय का स्थानान्तरण करना।

4– कार्यकर्ताओ की नियुक्ति व मुक्ति तथा उपसमितियो का गठन करना।

5–ऋण अनुदान लेने व देने को स्वीकार करना तथा बैंक से लेन–देन का अधिकार देना।

6– मन्त्री द्वारा हिसाब–किताब व प्रगति रिर्पोट स्वीकार करना।

7– अन्य आवश्यक कार्य जो संस्था हित में हो करना।

7–प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियो के अधिकार एंव कर्तव्यः–

1–अध्यक्षः– बैठक की अध्यक्षता करना, कार्यवाही को उचित रूप से चलाना, बैठक में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना तथा नयी योजनाए बनाना और सदस्यगणो से उसको स्वीकृति कराना।

2–मन्त्रीः– धन एंव लेखा सम्बन्धी सभी कार्य मन्त्री करेगा, बैंक में खाता भी मन्त्री द्वारा ही चलाया जायेगा। ट्रस्ट की बैंक द्वारा तय की गयी निति को लागू करना तथा किसी भी प्रोग्राम को पूरा करना भी मन्त्री का कर्तव्य होगा। आय–व्यय सम्बन्धी जॉच प्रतिवर्ष किसी प्रभावित आडिटर द्वारा कराने का कर्तव्य भी मन्त्री का होगा मैं मुकिर जो इस ट्रस्ट का मन्त्री भी हूँ। अपनी शैक्षिक योग्यता कम होने के कारण इस ट्रस्ट के संरक्षक डा0 प्रदीप वम्र को अपने सभी कार्य धन एंव लेखा सम्बन्धी एंव बैंक खातो का संचालन करने हेतु स्वतन्त्रता दे रहा हूँ। मेरी ओर से इस ट्रस्ट के सभी कार्य उपरोक्तानुसार करने के लिये वह स्वतन्त्र होगे और मुझे इनके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य कबूल व मंजूर होगा।

NOTARY
RAVINDRA KUMAR
Advocate/Notary
(GOVT. OF INDIA)

Identified by

(विजेन्द्र गुप्ता
चेम्बर न0 11 B
सिविल कोर्ट, देवबन्द
मो0 8923470125

8– संस्था के नियमो व उपनियमो में संशोधन प्रक्रिया:–

1– कार्यकारिणी समिति के द्वारा नियमो एंव उपनियमो परिवर्तन/संशोधनन 2/3 बहुमत से किया जा सकेगा।

2– उददेश्यो के अन्तर्गत उपनियम बनाने का अधिकार कार्यकारिणी समिति को होगा।

9– संस्था का कोष :–

इस सविधि जमा के ब्याज व प्राप्त दान से इस संस्था का कार्य चलाया जायेगा। कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संस्था के नाम से खाता खोलकर रखा जायेगा, जिसका संचालन संरक्षक डा0 प्रदीप वर्मा के द्वारा या हस्ताक्षर से होगा।

10– संस्था के आय व्यय का लेखा–परीक्षण (आडिट):–

संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण आडिटर द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा तथा आवश्यकता पडने सी0 ए0 द्वारा कराया जायेगा।

11– संस्था के द्वारा तथा संस्था के विरूद्व अदालती कार्यवाही का संचालन:–

संस्था के द्वारा तथा संस्था के विरूद्व अदालती कार्यवाही संस्था के संरक्षक का होगा।

12– संस्था के अभिलेख:–

कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कैश बुक, लेजर, बाउचर्स, स्टाक रजिस्टर, रसीदे, बैंक पास बुक आदि अन्य आवश्यक अभिलेख।

13– संस्था का विघटन व विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही :–

संस्था के समापन की स्थिति में ऋण आदि के निपटने के पश्चात इसकी जो भी सम्पथतत शेष रहेगी। उस कार्यकारिणी के अनुसार किसी दूसरी संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी। जिसकी कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

NOTARY
RAVINDRA KUMAR
Advocate/Notary
(GOVT. OF INDIA)
GOVT. OF INDIA

14– नोट :– संस्था के उपरोक्त सभी उददेश्यो की पूर्ति हेतु संस्था किसी भी प्रकार की वित्त पोषिक बैंकों/संस्थाओ/निगमो/निकायो/राज्य एंव केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओ के अन्तर्गत ऋण/अनुदान आदि प्राप्त करके संस्था के चैरिटेबिल कार्यो में व्यय करेगी।

15– वित्तीय वर्ष :–

संस्था का वित्तीय वर्ष एक अप्रेल से 31 मार्च तक का होगा।

Identified by

(बिजेन्द्र गुप्ता
चेम्बर न0 11 B
सिविल कोर्ट, देवबन्द
मो0 8923470125

16 – अन्य नियम :– अंग्रेजी माध्यम से संस्था की मान्यता लेने की दशा में निम्न प्रतिबन्धो का पालन समिति द्वारा किया जायेगा।

(क) विद्यालय की सोसायटी का पंजीकरण समय समय पर कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक के द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी छात्रो के लिये सुरक्षित रहेगे और उनसे उ0 प्र0 मा0 शि0 परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो में विभिन्न कक्षाओ के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

(घ) राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान संस्था को नही दिया जायेगा और ना ही संस्था द्वारा मांग की जायेगी। यदि पूर्व में विद्यालय मान्यता प्राप्त है तो विद्यालय के सम्बद्वता सी0बी0एस0ई0 या काउंसिल फार इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जानिगेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती तो उक्त परिषदो से सम्बद्वता प्राप्त होते ही परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(ड) संस्था के शिक्षणेत्तर तथा शिक्षक कर्मचारियो को राजकीय/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो को दिये जाने वाले वेतनमानो तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगे।

(च) कर्मचारियो के लिये सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर मा0 विद्यालयो के कर्मचारियो को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी निर्देश/आदेश निर्गत किये जायेगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय का रिकॉड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओ में रखा जायेगा।

NOTARY
RAVINDRA KUMAR
Advocate/Notary
(GOVT. OF INDIA)
GOVT. OF INDIA

Identified by

(विजेन्द्र गुप्ता)
चेम्बर न0 11 B
सिविल कोर्ट, देवबन्द
मो0 8923470125

16 – कार्यकारिणी समिति :– शकुन्तला देवी एजुकेशनल ट्रस्ट कमला विहार मंगलौर चौकी देवबन्द सहारनपुर के नियमो के अनुसार निम्न व्यक्यिो को संस्था का कार्यभार सौपा गया है:–

क्रम सं0	नाम व पिता/पति का नाम	पता	पदनाम	व्यवसाय
01	श्रीमति सुधा वर्मा पत्नी श्री प्रदीप कुमार	ग्राम शीतला खेडा पोस्ट तांशीपुर जिला सहारनपुर।	अध्यक्ष	नौकरी
02	प्रदीप वर्मा पुत्र श्री कर्मसिंह	कमला विहार (मौ0 कायस्थवाडा खण्ड–4 नगरपालिका परिषद देवबन्द जिला सहारनपुर।	मन्त्री	चिकित्सक
03	सरदार बलजोर सिंह पुत्र सरदार बलवन्त सिंह	बसन्त कालौनी नयी जेल चुंगी मेरठ।	सदस्य	नौकरी
04	सरदार जयसिंह पुत्र सरदार जयपाल सिंह	ग्राम बडला डाक किला मेरठ।	सदस्य	खेती
05	सरदार त्रिलोचन सिह चीमा पुत्र सरदार कुलवन्त सिंह चीमा	ग्राम हरीपुर पोस्ट जगजीतपुर, शाहजहांपुर।	सदस्य	चिकित्सक
06	अंकुर कुमार पुत्र श्री विजयपाल	ग्राम शीतला खेडा पोस्ट तांशीपुर जिला सहारनपुर।	सदस्य	इंजीनियर
07	श्रीमति शशी पत्नी श्री कुलदीप कुमार	ग्राम शीतला खेडा पोस्ट तांशीपुर जिला सहारनपुर।	सदस्य	ग्रहणी
08	श्याम कुमार पुत्र श्री रफल सिंह	रेलवे रोड नागल जिला सहारनपुर।	सदस्य	नौकरी

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि हमने इस स्मृति पत्र तथा सलंग्न नियमावली के अनुसार एक ट्रस्ट का गठन किया है।

दिनांक:– 19–03–2025

Identified by

(बिजेन्द्र गुप्ता
चेम्बर न0 11 B
सिविल कोर्ट, देवबन्द
मो0 8923470125

Identified by

(बिजेन्द्र गुप्ता
चेम्बर न0 11 B
सिविल कोर्ट, देवबन्द
मो0 8923470125

ATTESTED

RAVINDRA KUMAR
Advocate/Notary
Deoband (SRE)
Reg. No. 2963

NOTARY
RAVINDRA KUMAR
Advocate/Notary
(GOVT. OF INDIA)
Deoband (SRE)
Regd. No. 2963
2005